149

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

R 187 #17

प्रकरण क्रमांक –दो/2017 निगरानी

(1) श्रीमती विद्यावती पुत्री स्व. राजधर लोधी
पत्नि रामगोपाल लोधी
(2) श्रीमती प्रमिला पुत्री स्व. राजधर लोधी
पत्नि फूल सिंह लोधी
(3) श्रीमती रामकुमारी पुत्री स्व. राजधर लोधी
पत्नि नाहर सिंह लोधी
(4) श्रीमती जनककुमारी पुत्री स्व. राजधर लोधी
पत्नि लोकपाल सिंह लोधी
निवासीगण ग्राम बाचरोन तहसील पिछोर
जिला शिवपुरी , मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, शिवपुरी
2– तहसीलदार तहसील पिछोर जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा धारा 50 सहपठित धारा 8, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत – आवेदकगण के स्वत्व की भूमि को पटवारी व्दारा शासकीय अभिलेख से विलोपित कर शासकीय दर्ज कर देने एंव तहसीलदार तहसील पिछोर जिला शिवपुरी व्दारा अमल को दुस्रुत करने से इंकार करने के विरूद्ध)

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 187–दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
17-1-17	यह निगरानी आवेदकगण के पिता स्वर्गीय राजधर पुत्र भगवानदास लोधी के स्वत्व की भूमि को शासकीय अभिलेख से नाम विलोपित कर देने एंव तहसीलदार पिछोर व्दारा अमल सुधार का आवेदन देने पर मना करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित 8 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण के पिता स्वर्गीय राजधर पुत्र भगवानदास लोधी के नाम ग्राम बाचरोन में भूमि सर्वे कमांक 1695 रकबा 1.994 हैक्टर शासकीय अभिलेख में दर्ज रही है । राजधर लोधी की मृत्यु उपरांत आवेदकगण उसकी पुत्रियॉ होने से विधिक वारिस हैं। भूमि सर्वे कमांक 1695 का बंदोवस्त के वाद नया सर्वे नंबर 2114 रकबा 1.97 हैक्टर बना है, भूमिस्वामी राजधर की मृत्यु के वाद आवेदक कमांक 1 से 4 पुत्रियॉ होने से विधिक वारिस हैं जो मौके पर काविज होकर खेती करके बच्चों का पालन पोषण करना बताया गया हैं। माह दिसम्बर 2016 में आवेदिकाओं ने सिंचाई हेतु ट्यूव वैल लगाने के लिये ऋण लेने बैंक में संपर्क किया तब बैंकर्स ने नये खसरे की नकल मॉगी। पटवारी से संपर्क करने पर बताया गया कि भूमि सरकारी लिखी जा चुकी है, तब खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाकर तहसीलदार पिछोर को इन्द्राज दुरूस्ती आवेदन दिया एंव तहसीलदार ने उन्हें आवेदन वापिस नहीं किया तथा कार्यवाही करने से मुहॅू जवानी मना कर दिया, जिसके कारण यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।	

2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत खसरा पंचशाला सन् 1979–80 लगायत 1982–83 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया है कि ग्राम बाचरोन तहसील पिछोर की भूमि सर्वे नंबर 1695 का रकबा 1.994 हैक्टर है खसरे के भूमिस्वामी के कालम नंबर 3 में इस प्रकार प्रविष्ट दर्ज है –

राजधर पुत्र भगवान दास लोधी
नि.भूमिस्वामी भू.आ. 2.00

खसरा प्रविष्टि अनुसार स्वर्गीय राजधर लोधी वादग्रस्त भूमि के वर्ष 1979–80 लगायत 1982–83 में भूमिस्वामी दर्ज हैं । आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि हलका पटवारी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नवीन खसरा बनाते समय भूमिस्वामी के स्वत्व की भूमि में छेड़–छाड़ करने अथवा नाम विलोपित करने की अधिकारिता नहीं है। विचार योग्य है कि जब वर्ष 1979–80 लगायत 1982–83 तक के मूल खसरे तहसील में अथवा जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध हैं, तहसीलदार व्दारा मूल खसरा मॅगाकर देखने का प्रयास नहीं किया है और आवेदकगण व्दारा खसरा सुधार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही संज्ञान में न लेने में भूल की है।

6/ तहसील न्यायालय से आवेदक को जारी की गई खसरा पॅचशाला वर्ष 1979–80 लगायत 1982–83 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के पिता के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है इन अभिलेखों की अनदेखी करते हुये आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत सॅशोधन आवेदन

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 187–दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	के बारे तहसीलदार पिछोर की मना करने पर क्या शोच रही है अनुमान लगाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदकगण के पिता के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि शासकीय दर्ज बनाये रखना नियमानुकूल कार्यवाही नहीं है। 7/ खसरा पॅचशाला वर्ष 1979–80 लगायत 1982–83 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ तहसील करैरा से आवेदकगण को प्रदान की गई हैं। म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :– " धारा 117 – भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधाणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। " गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) ने व्यवस्था दी है कि (यद्वपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा). गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 में मान. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था	

दी है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी).

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एंव शासन के पैनल लायर प्रस्तुत अभिलेख का खण्डन नहीं कर सके हैं। शासकीय अभिलेख अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का है। गणेशी लाल जैन विरूद्ध म0प्र0राज्य 2004 रा0नि0 329, A.I.R. 1969 S.C. 1297 तथा 1998(1) M.P.W.N. 26 के न्याय दृष्टांत हैं कि संबत 2007 (सन 1950) से महिला सरवती वाई का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित होकर 1961 तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा। आवेदिका भूमिस्वामी है। भूमि आवेदक के स्वत्व एंव आधिपत्य की मानी गई।

यही स्थिति विचाराधीन प्रकरण की है क्योंकि वादग्रस्त भूमि खसरा पॅचशाला वर्ष वर्ष 1979–80 लगायत 1982–83 में निरन्तर आवेदकगण के पिता के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है जिसके कारण वह वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड भूमिस्वामी स्वर्गीय राजधर लोधी और उनकी मृत्यु के वाद उनकी आवेदिकायें पुत्रियॉ होने से भूमिस्वामी हैं।

8/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण वर्ष 1979–80 लगायत 1982–83 निरन्तर भूमि पर काविज होकर खेती करके अपने बच्चों का लालन–पालन करती आ रही हैं । आवेदकगण ने पिछड़ा वर्ग की महिलायें होते हुये उबड़–खाबड़ से भूमि को समतल बनाया है जिसमें काफी मेहनत की गई है। यदि वर्ष 1979 से आवेदकगण के स्वर्गीय पिता राजधर एंव उनकी मृत्यु उपरांत मृतक की पुत्रियों के स्वत्व

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 187–दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह

की भूमि उनसे वर्ष 2017 में (37 वर्ष वाद) हलका पटवारी व्दारा अपलेखन की त्रृटि को सत्य मानकर शासकीय अंकित रहती है तब आवेदकगण को महिलायें होने से परिवार का पालन–पोषण करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि आवेदक पिछड़े वर्ग की जाति के होकर कृषि श्रमिक है । आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय – वर्ष 1979 से आवेदकगण के पिता स्वर्गीय राजधर के नाम की भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आई भूमि एंव उसकी मृत्यु उपरांत आवेदिकाओं व्दारा खेती की जा रही भूमि को नवीन खसरा बनाते समय हलका पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किये शासकीय दर्ज की है, तद्नुसार पटवारी व्दारा की गई प्रविष्टि अधिकारविहीन होने से ऐसी प्रविष्टि दुरूस्त किये जाने योग्य है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पिछोर को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बाचरोन की भूमि सर्वे कमांक 1695 रकबा 1.994 हैक्टर के भूमिस्वामी राजधर लोधी की मृत्यु उपरांत आवेदकगण उसकी पुत्रियॉ होने से विधिक वारिस हैं। भूमि सर्वे कमांक 1695 का बंदोवस्त के वाद नया सर्वे नंबर 2114 रकबा 1.97 हैक्टर बना है जो राजधर सिंह के स्वत्व की होने से उसकी मृत्यु उपरांत उसके विधिक वारिस आवेदकगण का नाम चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत् अंकित कराया जावे।

सदस्य